

दिनांक 09.02.2013 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही -

उपस्थिति - पंजी में संधारित

कार्यवाही

खाद्यान्न की मदवार उठाव एवं वितरण की समीक्षा की गई। समीक्षा के कम सभी प्रखण्डों में माह दिसम्बर 2012 का ही खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया जा रहा है। राज्य खाद्य निगम के परिवहन अभिकर्ता द्वारा खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति एस0डब्लू0सी0 के गोदाम से राज्य खाद्य निगम के गोदाम तक नहीं करने के कारण खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान समय तक दिसम्बर 12 का ही खाद्यान्न की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम के परिवहन अभिकर्ता द्वारा राज्य खाद्य निगम के गोदाम में की जा रही है। कुछ ही गोदामों में माह जनवरी 2013 का आंशिक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है जबकि माह फरवरी का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। इससे प्रतीत होता है कि वर्ष 2012-13 समाप्ति की ओर है तथा परिवहन अभिकर्ता की शिथिलता के कारण खाद्यान्न के व्ययगत होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। यदि तत्काल रूप से खाद्यान्न का उठाव में तेजी नहीं लाया जाता है तो खाद्यान्न के व्ययगत होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। चतरा जिला उग्रवाद से ग्रसित एवं अत्यंत ही पिछड़ा जिला है। इस संबंध में प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को पत्र लिखते हुए सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड राँची एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, हजारीबाग को सूचित करने का निर्णय लिया गया (अनुपालन प्रखण्ड जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा)।

2. अतिरिक्त बी0पी0एल0 - अतिरिक्त बी0पी0एल0 मद में विभाग द्वारा माह सितम्बर 2012 तक आवंटन उपलब्ध कराया गया है जिसके विरुद्ध सभी प्रखण्डों में लाभुक के अनुसार उपावंटन किया जा चुका है। ईटखोरी एवं टण्डवा प्रखण्डों में माह अगस्त, सितम्बर 2012 का तथा शेष प्रखण्डों में जून, जुलाई 2012 का ही उठाव किया जा रहा है, जो संतोषप्रद नहीं है। प्राप्त आवंटन का 80 प्रतिशत उठाव जबतक नहीं हो जाता है तबतक माह अक्टूबर से मार्च 2013 तक के लिए विभाग द्वारा आवंटन प्राप्त नहीं होगा। निदेश दिया गया कि उपलब्ध खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान में आपूर्ति करना सुनिश्चित करें (अनुपालन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक/सभी गोदाम प्रबंधक चतरा जिला)।

2. दिवाल लेखन - समीक्षा बैठक में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, पथलगडा, अतिरिक्त प्रभार लावालौंग, प्रतापपुर, एवं कुन्दा के अनुपस्थित रहने के कारण समीक्षा नहीं हो पाया। शेष प्रखण्डों में दिवाल लेखन की स्थिति निम्नप्रकार है -

| क्रम | प्रखण्ड का नाम | प्रखण्ड अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की संख्या | दिवाल लेखन का कार्य किये गये दुकानों की संख्या |
|------|----------------|--|--|
| 1 | चतरा नगर | 40 | 40 |
| 2 | चतरा ग्रामीण | 73 | 65 |
| 3 | कान्हाचट्टी | 44 | 38 |
| 4 | हंटरगंज | 125 | 95 |
| 5 | गिद्धौर | 28 | 28 |
| 6 | ईटखोरी | 101 | 95 |
| 7 | टण्डवा | 83 | 83 |
| 8 | सिमरिया | 78 | 75 |
| 9 | पथलगाडा | 23 | 19 पूर्व सप्ताह तक |
| 10 | लावालौंग | 35 | 28 पूर्व सप्ताह तक |
| 11 | प्रतापपुर | 88 | 23 पूर्व सप्ताह तक |
| 12 | कुन्दा | 19 | 0 पूर्व सप्ताह तक |

4. ठेला भेण्डर :- समीक्षा के कम में पाया गया कि ठेला भेण्डरों द्वारा मात्र सिमरिया प्रखण्ड से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । अन्य प्रखण्डों में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षकों द्वारा बताया गया कि इस सप्ताह तेल का उठाव थोक विक्रेता द्वारा आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण वितरण नहीं किया गया है । नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत ठेला भेण्डरों का निरीक्षण हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि ठेला भेण्डरों के द्वारा वितरण किए जाने वाले किरासन तेल का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कर प्रतिवेदन अगली समीक्षात्मक बैठक में लाना सुनिश्चित करेंगे (अनुपालन अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक चतरा जिला) ।

5. मुख्यमंत्री दाल-भात योजना – आपूर्ति संबंधी समीक्षात्मक बैठक में निदेश दिया गया था कि मुख्यमंत्री दाल-भात योजना का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में लाना सुनिश्चित करेंगे जिसकी समीक्षा बैठक में किया जा सके । परन्तु मयुरहण्ड, टण्डवा एवं चतरा नगरपालिका से ही जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । जाँच के समय विभिन्न प्रखण्डों की स्थिति निम्नप्रकार थी –

| क्रम | प्रखण्ड का नाम | भोजन कर चुके लाभुकों की संख्या | भोजन कर रहे लाभुकों की संख्या | कतार में खड़े लाभुकों की संख्या | अभ्युक्ति |
|------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | टण्डवा | 137 | 06 | 05 | |
| 2 | चतरा नगरपालिका | 110 | 11 | 07 | |
| 3 | मयुरहण्ड | 75 | 10 | 05 | |

(अनुपालन सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, चतरा जिला)।

6. **अन्नपूर्णा योजना** – समीक्षा के कम में पाया गया कि पथलगडा प्रखण्ड अन्तर्गत विगत एक वर्ष से खाद्यान्न की आपूर्ति लाभुकों के बीच नहीं की गई है जो अत्यंत ही गंभीर मामला है । अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा को पूर्व साप्ताहिक बैठक दिनांक 02.02.13 को निदेश दिया गया था । परन्तु खेद के साथ कहना है कि अभी तक अन्नपूर्णा योजना का खाद्यान्न पथलगडा प्रखण्ड में नहीं कराया जा सका है । पुनः निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पथलगडा से व्यक्तिगत सम्पर्क कर/प्रखण्ड का दौरा कर अन्नपूर्णा योजना का खाद्यान्न उठाव कर वितरण कराने पर विशेष बल दें । जिसका लाभ लाभुकों को मिल सके (अनुपालन अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पथलगडा)।

7. **धान अधिप्राप्ति** – वर्ष 2012-13 के लिए चतरा जिले में कुल 29 पैक्सों के द्वारा धान की अधिप्राप्ति की जा रही है । समीक्षात्मक बैठक में पाया गया कि अभी 87000 क्विंटल धान का क्रय किया गया है तथा संबंधित राईस मिल को भेजा भी जा रहा है । सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत सप्ताह में कम-से-कम एक पैक्स का निरीक्षण कर निम्नांकित प्रपत्र में भरकर प्रतिवेदन आवश्यक रूप से बैठक में लाना सुनिश्चित करेंगे (अनुपालन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक चतरा जिला)।

प्रपत्र

| क्रम | पैक्स का नाम | अबतक क्रय किए गए धान की मात्रा | अबतक मिल में भेजे गए धान की मात्रा | शेष मात्रा | भौतिक सत्यापन में पाई गई धान की मात्रा | कितने किसानों से अबतक धान क्रय किया गया | क्या किसानों का पहचान पत्र/लगान रसीद संघारित है |
|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

राशि की आवश्यकता का आकलन

| कुल खरीदी गई धान के लिए राशि की आवश्यकता | कुल प्राप्त राशि | अतिरिक्त राशि की आवश्यकता |
|--|------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

६० —
उपायुक्त,
चतरा ।

दिनांक 69 / आ०

दिनांक 10/2/13

प्रतिलिपि:—

सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

- प्रतिलिपि – अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि – सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक/सहायक गोदाम प्रबंधक, चतरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि – जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि:– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पथलगडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि:– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही की प्रति चतरा जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करेंगे ।

m. g. mahi
12/12/13
उपस्थित,
चतरा ।